

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्या:-908/20 (जीसीएमएस नं. 2020/00791)

01. मै0 इन्डो ग्लोबल इन्फ्रा एनर्जी लि0, 25 बाजार लेन बंगाली मार्केट, न्यू देहली-110001 जरिये डायरेक्टर भूपेन्द्र यादव पुत्र स्व. श्री आर.पी.सिंह यादव, निवासी हाऊस नम्बर 1604, एचबीसी, सेक्टर 10-ए गुडगांवा, हरियाणा

—अपीलान्ट

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर अलवर, राजस्थान।
02. तहसीलदार रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर, राजस्थान।

— रेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 23.12.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.12-1(29)(खान)राज/19/4342 दिनांक 6.11.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 0.8 ऐयर, खसरा नम्बर 267 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 268 रकबा 64 ऐयर, खसरा नम्बर 269 रकबा 90 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.96 हैक्टर अर्थात् 29,600 वर्गमीटर वाके ग्राम मानकी तहसील रामगढ़ जिला अलवर की सम्पूर्ण भूमि को औद्योगिक स्टोन क्रेशर हेतु संपरिवर्तन कराया था जिसका संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राजस्व/संपरिवर्तन/प.राज/भू.रू.010/3759-67 दिनांक 11.06.2010 को कार्यालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित किया गया था तथा संपरिवर्तन आदेश पारित करने से पूर्व बाकायदा पटवारी हल्का एवं तहसीलदार रामगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई थी व पटवारी हल्का आदि ने मौके की जाँच की, तत्पश्चात् तहसीलदार रामगढ़ ने स्टोन क्रेशर ईकाईयों की आबादी क्षेत्र से दूरी को भौतिक रूप से सत्यापित करने हेतु वांछित हल्का पटवारी की रिपोर्ट के बाद जारी किया था जिसमें आबादी क्षेत्र से स्टोर क्रेशर की दूरी डेढ़ किलोमीटर अंकित की गई है, अर्थात् स्टोन क्रेशर निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर बताया गया है। उन्होंने आगे कथन किया है कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा नियमानुसार भू रूपान्तरण करने से पूर्व अपने अधीनस्थ विभाग राजस्व अधिकारी, ग्राम पंचायत चौमा, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड अलवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं उप नगर नियोजन अलवर से बाकायदा अनापत्ति के आधार पर एवं सम्पूर्ण औपचारिकताओं के पश्चात् ही विधिवत तरीक पर संतुष्ट होकर ही उक्त भूमि को स्टोन क्रेशर हेतु संपरिवर्तन आदेश विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया था।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(2)

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पूर्व में विशम्बर एवं अन्य ने राजगढ क्षेत्र में स्थित स्टोन केशरों के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक डीबी सिविल रिट (पीआईएल) पिटीशन नम्बर 11277/2014 प्रस्तुत की थी जिसमें राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया था और उस जवाब में यह अंकित किया था कि स्टोन केशर निर्धारित दूरी 1.5 किलोमीटर की परिधि में नहीं आते हैं तथा दूरी के सम्बन्ध में नियम आदेशात्मक नहीं है अपितु निर्देशात्मक है तथा दूरी का कम करके 750 मीटर कर दिया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त जवाब में किये गये कथन से राज्य सरकार अर्थात रेस्पोजेन्ट कानूनन विबांधित (एसर्टॉड) है तथा उस जवाब में रेस्पोजेन्ट द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया था कि रूपान्तरकरण के समय अपीलान्ट के केशर की दूरी आबादी से 1.5 किलोमीटर की परिधि में नहीं आता है तथा भू रूपान्तरकरण के पश्चात् यदि किसी प्रकार की कोई आबादी स्थापित होती है तो उससे रूपान्तरकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त रिट पिटीशन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करमाया जा चुका है। इसके अलावा इसी तरह की एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ बनाम सरोज चौहान C/O त्रिवेदी ग्रीट अधोग में भी त्रिवेदी ग्रीट उद्योग स्टोन केशर के मामले में तहसीलदार रामगढ द्वारा पेश की गई थी, जो भी स्वयं तहसीलदार द्वारा लगाये गये आक्षेपों को निराधार व गलत मानते हुए न्यायाधीश द्वारा स्वयं व भू अभिलेख निरीक्षक के साथ विवादित केशर की गॉव से दूरी 1.5 किलोमीटर से अधिक पाये जाने पर तहसीलदार द्वारा लगाये गये आक्षेप को गलत व प्रमाणित नहीं होने के कारण तहसीलदार रामगढ की अपील को दिनांक 09.05.13 को खारिज कर दी गई एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 07.01.2011 को यथावत रखा गया, अपीलान्ट का स्टोन केशर मुख्य आबादी से 1.5 मिलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश कतई मानमाना व विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि संपरिवर्तन नियम 2007 एवं भू रूपान्तरकरण आदेश में कही भी आने अपने आदेश को भविष्य में विज्ञो किये जाने का प्रावधान भी नहीं दिया हुआ है, न ही नियमों को अपने आदेश को विज्ञो करने की शक्ति प्रदान की गई है, यदि सक्षम अधिकारी उस आदेश से व्यथित था तो उन्हें सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करनी चाहिये थी जो कानूनन संभव नहीं थी क्योंकि संपरिवर्तन आदेश के दिन किसी भी प्रकार की नियमों की त्रुटि नहीं थी इसलिये स्वयं को ही अपना आदेश विज्ञो करने का अधिकार रेस्पोजेन्ट को नहीं था। उन्होंने आगे कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट के अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के भू रूपान्तरकरण को विज्ञो करने के दो आधार बताये गये, सर्वप्रथम यह आक्षेप लगाया गया कि खसरा नम्बर 544 गंगासिंह मेघवाल के मकान से अपीलान्ट का केशर 1170 मीटर की दूरी पर है एवं पर्यावरण मानको के अनुसार हरित पट्टी व मशीनरी का रख-रखाव उचित नहीं पाया गया, उक्त तथ्य अपीलाधीन आदेश में गलत व मनमाना दर्ज किया गया है तथा अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में उक्त तथ्य

P.T.O.

संसाधन
अधिवक्ता
लखनऊ

(3)

दर्ज किया है, पैमाईश किये जाने से पूर्व व पर्यावरण के सम्बन्ध में अपीलान्त को तलब नहीं किया गया जो रिपोर्ट संयुक्त जांच कमेटी की गैरकानूनी है तथा वह कानूनन साक्ष्य में पढ़ने योग्य नहीं है जबकि खसरा नम्बर 544 कृषि भूमि है जो आबादी में रूपान्तरित नहीं है, रूपान्तरण के बिना अनाधिकृत रूप से यदि कोई काश्तकार अपनी आराजी में निर्माण करता है तो उससे दूरी के सम्बन्ध में रूपान्तरण के आदेश किसी तरह से प्रभावित नहीं होता है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त ने नियमानुसार पर्यावरण विभाग के नियमों के अन्तर्गत काफी मात्रा में पौधारोपण कर हरित पट्टी का निर्माण कराया हुआ है तथा स्थापित मशीनरी पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई है एवं पूर्णरूप से रख-रखाव किया हुआ है, इस प्रकार जो आक्षेप अपीलाधीन आदेश में बदनियती से वर्णित किया है जो कोई सरोकार नहीं रखता है किन्तु रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया एवं मनमाना निष्कर्ष निकालकर बेजा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 06.11.2020 को निरस्त फरमाया जावे तथा संपरिवर्तन आदेश क्रमांक प.राज/भूरू. (10/3759-67 दिनांक 11.06.2010 को बहाल फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम-2007 के नियम 4(ग) किसी औद्योगिक ईकाई या चूना भूट्टे या किसी क्रेशर ईकाई या किसी औद्योगिक क्षेत्र के प्रयोजन के लिये ग्रामीण आबादी की बाहरी सीमाओं के 1.5 किलोमीटर के अर्द्धव्यास के भीतर आने वाली भूमि का संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किये जाने के प्रवधान है तथा सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के पत्र के संदर्भ में जिला कलक्टर अलवर द्वारा गठित संयुक्त जांच कमेटी से जांच कराये जाने पर उक्त कमेटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त का क्रेशर ग्राम मानकी की मुख्य आबादी खसरा नम्बर 544 गंगासिंह मेघवाल के मकान के पास विद्युत पोल से 1170 मीटर दूरी पर स्थिति होने तथा पर्यावरण मानकों के अनुसार हरित पट्टी व मशीनरी का रख-रखाव उचित नहीं पाया गया है जिसके आधार पर जिला कलक्टर अलवर द्वारा प्रकरण का विधिक प्रवधानों के अनुरूप परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2020 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्त खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी के संपरिवर्तन के समय तहसीलदार रामगढ के पत्रांक 147 दिनांक 19.04.2010 में उक्त भूमि ग्राम की आबादी की बाहरी सीमा से 1500 मीटर

P.T.O.

संज्ञाय जायक
पत्र

(4)

की दूरी पर स्थिति है तथा जिला कलक्टर अलवर द्वारा अन्य विभागों से भी अनापत्ति लेने के पश्चात् ही सपरिवर्तन आदेश दिनांक 11.0.2010 पारित किया गया है तत्पश्चात् जिला कलक्टर अलवर द्वारा गठित जॉच कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्त के क्रेशर की दूरी आबादी से 1500 मीटर से कम होने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि राज्य पर्यावरण मण्डल जयपुर द्वारा उक्त क्रेशर संचालन हेतु दिनांक 20.07.2019 से 30.06.2024 तक अनुमति दी गई है। अपीलान्त के अधिवक्ता का दौराने बहस यह भी कथन रहा है कि कई खातेदारान द्वारा अनाधिकृत रूप से अपनी कृषि भूमि पर पशुओं हेतु चारा संग्रहण के लिये बनाये गये अनाधिकृत निर्माण का आबादी नहीं माना जा सकता, पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि कमेटी द्वारा उक्त भूमि की सर्वे रिपोर्ट बनाते समय अपीलान्त को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ जिला कलक्टर अलवर को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलक्टर अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्त की वादग्रस्त आराजी का पुनः सर्वे कराया जाकर एवं प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. समित शर्मा)

संभागीय अधिवक्ता
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय अधिवक्ता
जयपुर